



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
14 - अशोक मार्ग , शक्ति भवन , लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 682-पै०एवंआर०-28/पाकालि/24-60-पी/98-टीसी-2018, दिनांक : 06.04.2024

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल,
विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ,
एवं केस्को-कानपुर।

विषय : पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को परिचय पत्र निर्गत किये जाने सम्बन्धी विद्यमान कारपोरेशन के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विभिन्न पेंशनर्स संगठनों द्वारा समय-समय प्रबन्धन से होने वाली वार्ता में यह संज्ञानित कराया जाता रहा है कि उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को परिचय पत्र निर्गत/उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जबकि पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को परिचय पत्र निर्गत/उपलब्ध कराये जाने के आदेश विद्यमान है, जिसे सेवानिवृत्त कार्मिक को उसकी सेवानिवृत्ति पर अन्य प्रपत्रों के साथ उपलब्ध कराया जाना है।

अतः उक्त के दृष्टिगत आपको अनुरोध है कि कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 735-पै०एण्डआर०-28/पाकालि/12, दिनांक 23 मार्च, 2012 तथा पत्र संख्या : 2140-पै०एवंआर०-28/पाकालि/12, दिनांक 10 सितम्बर, 2012 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को परिचय पत्र निर्गत/उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी प्राविधानित व्यवस्थाए/दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्मिक की सेवानिवृत्ति के पूर्व उसके अन्तिम कार्य दिवस पर, सेवानिवृत्तिक देयों की स्वीकृति के साथ पेंशनर परिचय पत्र भी उपलब्ध कराये जाने हेतु कृपया सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करे।

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरि।

(कमलेश बहादुर सिंह)
निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या : 682-पै०एवंआर०-28/पाकालि०/24/तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ, एवं केस्को-कानपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी/पेंशन वितरण इकाई, उ०प्र०पा०का०लि०/डिस्काम।
4. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक इकाई (पेंशन सेल), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. अधिसाशी अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

21.3.1
(राज कुमार रस्तागी)
अपर सचिव (तृतीय)



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 - जयसिंह मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED

संख्या-735-पै0एण्डआर0-28/पाकालि/12-46-पी/89 टी0सी0

दिनांक 23 मार्च, 2012

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा कारपोरेशन के परिपत्र सं0-181-पै0एवंआर0-28/पाकालि/10 दिनांक 20.02.10 के आंशिक संशोधन में समस्त पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को परिचय पत्र निर्गत किये जाने का दायित्व उप मुख्य लेखाधिकारी के स्थान पर केवल आहरण वितरण अधिकारी/पेंशन वितरण इकाईयों को दिया जाता है। आहरण वितरण अधिकारी/पेंशन वितरण इकाई कार्यालय, पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को परिचय पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र को अपने स्तर पर मुद्रित कराकर पी0पी0ओ0 के साथ ही निर्गत किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नक:-यथोक्त।

संख्या-735(1)-पै0एण्डआर0-28/पाकालि/12-तददिनांक :-

निदेशक (का0प्र0एवंप्रशा0)

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. समस्त प्रबन्ध निदेशक, डिस्काम्स/ट्रांसको/केस्को।
 2. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
 3. समस्त मुख्य अभियन्ता डिस्काम्स/केस्को/ट्रांसको।
 4. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/डिस्काम्स/ट्रांसको/केस्को।
 5. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
 6. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक इकाई (पेंशन सेल), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
 7. वरिष्ठ लेखाधिकारी (पेंशन) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
 8. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, वेब साइट www.uppcl.org.com पर उपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(एच0सी0लाल)

अनु सचिव (पी0एण्डआर0)

पारिवारिक विवरण

क्र०सं० नाम कारपोरेशन से सम्बन्ध आयु

1.
2.
3.
4.

नवीनीकरण

पेंशनर की मृत्यु दिनांक..... के बाद..... जो मृतक की..... है
को पारिवारिक पेंशन नवीनीकृत किया गया..... तिथि.....

अधिशाली अभियन्ता/लेखाधिकारी

स्थानान्तरण

1. जनपद से स्थानान्तरण के बाद पुनः जारी।
तिथि..... अधिशाली अभियन्ता/लेखाधिकारी
2. जनपद से स्थानान्तरण के बाद पुनः जारी।
तिथि..... अधिशाली अभियन्ता/लेखाधिकारी

1. परिवय पत्र जिस व्यक्ति का है उसी के प्रयोग हेतु मान्य है।
2. पेंशनर की मृत्यु की दशा में यदि परिवार के किसी सदस्य को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत है, के नाम परिवय पत्र नवीनीकृत करा लिया जाये।
3. परिवय पत्र खोने/नष्ट होने की दशा में 25 रु० शुल्क देकर दूसरा बनवाया जा सकता है।
4. परिवय पत्र में अनाधिकृत काट-पीट/अपरिलेखन कर परिवर्तन वर्जित है। ऐसा करने से परिवय पत्र स्वतः अमान्य हो जायेगा।
5. स्थानान्तरण की दशा में अधिशाली अभियन्ता/लेखाधिकारी से प्रविष्टियां संशोधित करा ली जाय।

क्रम संख्या.....

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



पेंशनर परिवय पत्र

कार्मिक की
सेवानिवृत्त
से 6 माह
तक का
फोटोग्राफ

नाम.....
अन्तिम धारित पद.....
कार्यालय/विभाग.....
वेतन/वेतनमान.....
पता.....
तिथि.....
सेवानिवृत्त की तिथि.....
पी०पी०आर० सं०-..... पेंशन/पा० पेंशन जारी करने
वाला अधिकारी.....

अधिशाली अभियन्ता/लेखाधिकारी
पेंशन आहरण वितरण कार्यालय



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
14 - अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या-2140-पै०एण्डआर०-28/पाकालि/12-46-पी/89 टी०सी०-vii दिनांक 10 सितम्बर, 2012

**आवश्यक
शीर्ष प्राथमिकता**

1. समस्त प्रबन्ध निदेशक, डिस्काम्स/ट्रांसको/केस्को।
2. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, छटा तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता डिस्काम्स/केस्को/ट्रांसको।
4. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/डिस्काम्स/ट्रांसको/केस्को।
5. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक इकाई (पेंशन सेल), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी (पेंशन) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।

महोदय,

कृपया कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं०-735-पै०एवंआर०-28/पाकालि/12, दिनांक 23.03.12 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा समस्त पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को परिचय पत्र निर्गत किये जाने का दायित्व इस आशय से आहरण वितरण अधिकारी/पेंशन वितरण इकाईयों को दिया गया था कि वे परिचय पत्र निर्धारित प्रपत्र में अपने स्तर से मुद्रित कराकर पेंशनर्स को उपलब्ध कराये। संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि कतिपय पेंशन आहरण वितरण इकाईयों द्वारा उक्त निर्देशों का समुचित अनुपालन नहीं किया जा रहा है जिससे पेंशनर्स में रोष व्याप्त है। यह स्थिति खेदजनक है।

अतः आपको पुनः निदेशित किया जाता है कि आप पेंशनर्स को परिचय पत्र जारी करने सम्बन्धी उक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

ए०के० सिंह

निदेशक (का०प्र०एवंप्रशा०)

संख्या-2140(1)-पै०एण्डआर०-28/पाकालि/12-तददिनांक :- 10.9.12

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेब साइट www.uppcl.org.com पर अपलोड करने हेतु।
2. विद्युत पेंशनर्स परिषद, उ०प्र० 103, कीर्ति शिखर अपार्टमेन्ट, 22 ऑफ स्टेशन रोड, छितवापुर भुइयन, लखनऊ।

आज्ञा से,

एच०सी०लाल

अनु सचिव (पी०एण्डआर०)